

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

**वादीगण**  
नरपतसिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति पुरोहित  
निवासी सेवतलाव तहसील बाली जमीरा

**बनाम**

**प्रतिवादी**  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किरम मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/442

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालिज में जारी हुये
16 <sup>07</sup> / <sub>25</sub>	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवतलाव स्थित भूमि खसरा नंबर 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164 रकबा 4.14 हैक्टर किरम बरानी अखल, गै.मु.राडा, गै.मु.राडा, चाही दोगम, जाव दोगम कुल लगान 74.02 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिरसा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवतलाव एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजारी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरगीम के लिये तहसीलदार, बाली को निजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहस्रक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इबादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
नरपतसिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति पुरोहित  
निवासी सेवतलाव तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/442

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कतई रुबरु हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवतलाव स्थित भूमि खसरा नंबर 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164 रकबा 4.14 हैक्टर किस्म बरानी अब्बल, गै.मु.सडा, गै.मु.सडा, चाही दायम, जाव दायम कुल लगान 74.02 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जगावंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किमे गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, सेवतलाव एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसबा मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/10/25 को जारी की गई।



3  
(दिनेश विश्‍नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सेवतलाव खाता संख्या 129



खाता सं	खातेदार का नाम	रंग	हस्ताक्षर
129	नरपत सिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार प्रभु सिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार		प्रभु सिंह
नया - 1	नरपत सिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार		नरपत सिंह
नया - 2	प्रभु सिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार		प्रभु सिंह

दीलत सिंह राठी  
 हस्ताक्षर पटवर्ती (न.अ.)  
 पटवर्ती भा. न. सेवतलाव  
 तह.वाली, जिला - पाली

हस्ताक्षर मू.अ. नि.  
 ILR Mundara

हस्ताक्षर तहसीलदार  
 तहसीलदार (मू.अ.) वाली